दिनांक 01.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 01/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हाथरस/थाना सहपऊ

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 75 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना सहपऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थरौरा चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–हरजीत राणा उर्फ दाजू 2–विमल उर्फ भूरा उर्फ प्रिन्स को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 75 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.05.2021 को थाना सहपऊ से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सहपऊ पर मु0अ0सं0 52/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सहपऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हरजीत राणा उर्फ दाजू निवासी कोकना कला थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

2–विमल उर्फ भूरा उर्फ प्रिन्स निवासी जरीपुरा थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 03 लाख 75 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुरखाला</u>

- **मादक पदार्थ 03 तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 05 किलो 110 ग्राम अवैध मारफीन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 01.06.2021 को थाना मोहम्मदपुरखाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादन चौराहा से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1–अवधेश कुमार 2–सद्दाम उर्फ अफसार 3–कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 05 किलो 110ग्राम अवैध मारफीन व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदपुरखाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अवधेश कुमार निवासी चौथा थाना पथरगड्ढा जनपद चतरा, झारखण्ड।

2–सद्दाम उर्फ अफसार निवासी पारा इब्राहिम थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

3–कृष्ण कुमार निवासी सेक्टर एच जानकीपुरम् थाना गुडम्बा, लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1– लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 05 किलो 110ग्राम अवैध मारफीन।

2– घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार ।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39</u>

- **एटीएम फ्रॉड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **03 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनांक 01.06.2021 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटीएम फ्रॉड करने वाला अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 लाख 30 हजार रूपये नगद, 03 एटीएम कार्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.03.2021 को एटीएम मशीन में रूपये डालते समय धोखाधडी से खातों में रूपये ट्रांसफर कर निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर मु0अ0सं0 222/2021 धारा 409/420/120बी/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजेश निवासी सुरूरपुर थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर हालपता सलारपुर थाना सेक्टर–39 जनपद गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–02 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2–03 एटीएम कार्ड।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नईमण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 31.05.2021 की रात्रि थाना नईमण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ए0टू0जेड0 तिराहे पर मोटर साइकिल बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में इस्तियाक उर्फ राजा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2021 धारा 420/414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इस्तियाक उर्फ राजा निवासी संघावली थाना मन्सूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 चोरी की मोटर साइकिल।

जनपद बलिया/थाना रसड़ा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.05.2021 की रात्रि थाना रसड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला मैदान से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी पुरानी कोट थाना रसड़ा जनपद बलिया।

बरामदगी

1—01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना खानपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021को थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंगारपुर तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खानपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर हालपता–चॉदपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

जनपद मेरठ/थाना इंचौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021 को थाना इंचौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देदवा के जंगल से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूपेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इंचौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2017 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इंचौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भूपेन्द्र निवासी देदवा थाना इंचौली जनपद मेरठ।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैनपुरी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज उर्फ गजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/2021 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज उर्फ गजेन्द्र निवासी तहारपुर रोड नगला थाना घिरौर जनपद मैनपुरी

जनपद महराजगंज/थाना कोतवाली

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गबडुआ नहर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत निवासी रेहांव थाना कोतवाली जनपद महराजगंज।

जनपद बस्ती/थाना लालगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 309/2018 धारा 302/201/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोपाल निवासी चित्राखोर थाना लालगंज जनपद बस्ती।

जनपद मथुरा/थाना शेरगढ़

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार 400 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**

दिनांक 31.05.2021को थाना शेरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तहसील छाता के एनएच–2 गेट के पास सडक से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुड्डू उर्फ मान सिंह उर्फ मोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 20 हजार 400 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा व राजस्थान के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास एन0डी0पी0एस0 एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शेरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2021 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शेरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू उर्फ मान सिंह उर्फ मोहन निवासी ग्राम रामपुर थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट के 20 हजार 400 रूपये नगद।

2– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **01 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना पचोखरा व एसटीएस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–लायक 2–शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध हेरोइन, 01 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–लायक निवासी हिमायुपुर नाले की पुलिया थाना दक्षिण, मूलपता नगला दया रामनगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

2–शिवकुमार निवासी हिमायुपुर हंश वाहिनी इण्टर कॉलेज के पीछे थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–01 किलोग्राम अवैध गांजा।

एसटीएफः भारतीय जाली मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

दिनांक—01—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को भारतीय जाली मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से **भारतीय जाली मुद्रा (01 लाख रूपये)** बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :—

रूपे"ा कुमार पुत्र स्व0राम सिंह, निवासी ग्राम मलकापुर, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी :—

1— 500/— के 200 जालीनोट कुल—1,00,000/—

2— 01 अदद आधार कार्ड।

3— 01 अदद पैन कार्ड।

4— 01 अदद डेबिट कार्ड।

5— 02 अदद मोबाइल।

6— 01 अदद प्लेटफार्म टिकट दिनांक—30.05.2021, न्यू फरक्का जंक"ान, पि"चम बंगाल।

7— नगद रू0 1820/—

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय :—

दिनांक—01—06—2021, समय लगभग—09.20 AM, परेड मैदान स्थित रेलवे क्रासिंग, थाना कीडगंज, प्रयागराज।

एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत—बांग्लादे"ा के सीमावर्ती क्षेत्रों से भारतीय जाली मुद्रा का संचरण हो रहा है तथा वहॉ से जाली मुद्रा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्दे"ात किया गया था। उक्त निर्दे"ा के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक—01—06—2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0श्री धर्मेन्द सिंह, आरक्षी अजय सिंह यादव, रोहित सिंह, कि”ान चन्द्र, पुनीत कुमार पाण्डेय की टीम प्रयागराज नगर क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि भारतीय जाली मुद्रा के साथ एक व्यक्ति परेड मैदान स्थित रेलवे क्रासिंग, प्रयागराज के पास किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर वि”वास करके मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर प्राकृतिक आड़ का सहारा लेकर स्वयं को छिपाते हुए उक्त स्थान पर पहुँचकर समय लगभग 09.20 बजे एक बारगी दबि”ा देकर आव”यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जामा तला”ी में उसके पास से भारतीय जाली मुद्रा के 1,00,000/— रूपये बरामद हुये।

अभियुक्त रूपे”ा कुमार उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वह ग्राम मलकापुर, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। वह यह रूपये कल प”िचम बंगाल से लेकर ट्रेन से आया है और वह रामू साहू पुत्र सुद्दू साहू, निवासी अटरामपुर, कौडिहार, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज के कहने पर फरक्का गया था, जहॉ न्यू फरक्का पुल के पास ब्रिज पार करके उसे दीपक मण्डल पुत्र का”ी राम मण्डल, निवासी ग्राम जैयनपुर, थाना बैषनव नगर, जनपद मालदा, प”िचम बंगाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा उससे 50 हजार के असली रूपये लेकर 01 लाख के जाली रूपये दिये गए हैं तथा उसके कहने पर 500 सौ रूपये के दो अन्य जाली नोट खर्च के लिए दिये थे, जिसे उसने रास्ते में खर्च कर दिया। दीपक को वह जानता नहीं है। चूँकि वह रामू साहू के कहने पर फरक्का गया था और यह रूपये वह उन्हीं को देने के लिए यहॉ रामू साहू का

इन्तजार कर रहा था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। उक्त जाली मुद्राओं की खपत रामू साहू के यहॉ आने के बाद ही हम लोगों द्वारा प्रयागराज में की जाती। रामू साहू स्वयं पहले भी कई बार प”िचम बंगाल से जाली मुद्रा लाकर यहॉ खपत कर चुका है।

विदित हो कि भारतीय जाली मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले दीपक मण्डल उपरोक्त को दिल्ली पुलिस की स्पे”ाल सेल के द्वारा दिनांक—19—12—2017 को 05 लाख 50 हजार भारतीय जाली मुद्रा के साथ जब से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तब से स्वयं माल लेकर कहीं जाने से बचता है, बल्कि इस धन्धें में शामिल लोगों को अपने पास कालिया चक, मालदा, प”िचम बंगाल बुलाकर ही माल देता है या किसी कैरियर के माध्यम से भिजवाता है। दिनांक—19—07—2019 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा अच्छेलाल चौरसिया उर्फ

बच्चा लाल चौरसिया पुत्र स्व0जिलेपाल चौरसिया, निवासी माधवपुर, महे"ापुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ हाल मुकाम रूपापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ सहित कुल 05 लोगों को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइन, जनपद प्रयागराज से जेल भेजा गया था। उस समय भी दीपक मण्डल ने ही अपने कैरियर वि"वजीत सरकार पुत्र गेंदु सरकार एवं सुभाष मण्डल पुत्र हरिपद मण्डल, निवासीगण जैयनपुर, थाना बै"ानव नगर, थाना मालदा, पि"चम बंगाल के माध्यम से दो हजार रूपये के कुल 121 भारतीय जाली मुद्रा (2,42,000/—) 02 लाख 42 हजार रूपये भिजवाये थे। दीपक मण्डल के साथ उसका भाई श्याम मण्डल, उसका रि"तेदार कंचन मण्डल, निवासीगण जैयनपुर, थाना बै"ानव नगर, थाना मालदा, पि"चम बंगाल भी इस धन्धें में शामिल है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कीडगंज, जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0—178/2021 धारा—489बी/489सी भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————